वाद भूमि वर्तमान ...

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1166 सन 2021
अनवान :-

1. लक्ष्मणराम पुत्र रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. फताराम पुत्र रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. चन्दराम पुत्र रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. अमरजीतकोर पुत्री रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. डालीकोर पुत्री रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. बन्सो पुत्री रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. ज्यान कोर पुत्री रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. मेवाराम पुत्र रखाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. गुरमेलराम पुत्र रखाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. सेवाराम पुत्र रखाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. शिन्द्रा देवी पुत्री रखाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. मैनादेवी पुत्री रखाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. शेलो बाई पत्नी भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. नेकराम पुत्र भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. मुख्त्याचन्द भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. जोगिन्दराम पुत्र भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. बाबुराम पुत्र भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. रमनदीप पुत्र भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
18. बनोकौर पत्नी फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
19. दर्शनसिह पुत्र फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
20. रणजीतराम पुत्र फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
21. मलकीतराम पुत्र फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
22. प्यारी कौर पुत्री फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
23. सबरजीतकौर पुत्री फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
24. भूरो कौर पुत्री फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 18/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 7/5 की कुल 12.3970हैक जिसमें सयुक्त तौर से फरीदराम 1897/371880 हिस्सा भानीराम पुत्र जैलाराम 1897/371880 हिस्सा रखाराम पुत्र जलाराम 1897/371880हिस्सा , रूडाराम पुत्र नापाराम 1897/123960 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 80/75 की कुल 8.5740हैक भूमि स्थित है।

Scanned with CamScanner

वाद भूमि वर्तमान राजरव रिकार्ड में फरीदराम , भानीराम उर्फ भजनाराम , रखाराम पुत्र जलोराम , व रूड़ाराम के नाम दर्ज है जो फोत हो चुके है जिनके विधिक उतराधिकारी सजरा खानदान के अनसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है जो उक्त के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जो सजरा खानदान के पूर्णत्या स्पष्ट है वादी एव प्रतिवादीगण ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अन्य चको की भूमि व वाद भूमि का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता बाहमी बटवारा किया गया जिसमें वाद भूमि प्राप्त हुई

वादी एव प्रतिवादीगण के परिवारिक समझौता में वाद भूमि वादी को प्राप्त होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 जो वादी के परिवारिक सदस्य है अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग कर दिया जिसके कारण वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि रही जिसे वादी काश्त करता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी परिवारिक समझौता/बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकार है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज भूमि परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा में वादी के हक हिस्सा की भूमि हे जिसे वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्ररतुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वजों फरीदराम , भानीराम उर्फ भजनाराम , रखाराम पुत्र जलोराम , व रूड़ाराम के नाम दर्ज है जो फोत हो चुके है जिनके विधिक उतराधिकारी सजरा खानदान के अनसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है जो उक्त के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अन्य चकों की भूमियो को शामिल करते हुए परिवारिक समझौता एवं बाहमी बटवारा किया गया था जिसके अनुसार वाद भूमि वादी का प्राप्त होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने अपने हकों को त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि जो उसके कब्जा काश्त में है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की होने के कारण वाद भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 25 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 7/5 की कुल 12.3970हैक जिसमें सयुक्त तौर से फरीदराम 1897/371880 हिस्सा भानीराम पुत्र जैलाराम 1897/371880 हिस्सा रखाराम पुत्र जलाराम 1897/371880हिस्सा , रूडाराम पुत्र नापाराम

Scanned with CamScanner

जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा के चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 7/5 की कुल 12.397हैक्ट भूमि में सयुक्त तौर से 0.3794हैक्ट एव रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 80/75 की कुल 8.5740हैक्ट में सयुक्त तौर से 0.7179हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है फरीदराम , भानीराम उर्फ भजनाराम , रखाराम पुत्र जलोराम , व रूडाराम का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1166 सन 2021

अनवान :–

1. लक्ष्मणराम पुत्र रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. फताराम पुत्र रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. चन्दराम पुत्र रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. अमरजीतकोर पुत्री रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. डालीकोर पुत्री रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. बन्सो पुत्री रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. ज्यान कोर पुत्री रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. मेवाराम पुत्र रखाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. गुरमेलराम पुत्र रखाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. सेवाराम पुत्र रखाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. शिन्द्रा देवी पुत्री रखाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. मैनादेवी पुत्री रखाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. शेलो बाई पत्नी भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. नेकराम पुत्र भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. मुख्त्याचन्द भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. जोगिन्दराम पुत्र भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. बाबुराम पुत्र भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. रमनदीप पुत्र भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
18. बनोकौर पत्नी फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
19. दर्शनसिह पुत्र फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
20. रणजीतराम पुत्र फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
21. मलकीतराम पुत्र फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
22. प्यारी कौर पुत्री फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
23. सबरजीतकौर पुत्री फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
24. भूरो कौर पुत्री फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 18/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 7/5 की कुल 12.3970हैक जिसमें सयुक्त तौर से फरीदराम 1897/371880 हिस्सा भानीराम पुत्र जैलाराम 1897/371880 हिस्सा रखाराम पुत्र जलाराम 1897/371880हिस्सा , रूडाराम पुत्र नापाराम 1897/123960 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 80/75 की कुल 8.5740हैक भूमि स्थित है।

Scanned with CamScanner

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फरीदराम , भानीराम उर्फ भजनाराम , रखाराम पुत्र जलोराम , व रूडाराम के नाम दर्ज है जो फोत हो चुके है जिनके विधिक उतराधिकारी सजरा खानदान के अनसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है जो उक्त के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जो सजरा खानदान के पूर्णत्या स्पष्ट है वादी एव प्रतिवादीगण ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अन्य चको की भूमि व वाद भूमि का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता बाहमी बटवारा किया गया जिसमें वाद भूमि प्राप्त हुई

वादी एव प्रतिवादीगण के परिवारिक समझौता में वाद भूमि वादी को प्राप्त होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 जो वादी के परिवारिक सदस्य है अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग कर दिया जिसके कारण वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि रही जिसे वादी काश्त करता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी परिवारिक समझौता/बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकार है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज भूमि परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा में वादी के हक हिस्सा की भूमि हे जिसे वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वजों फरीदराम , भानीराम उर्फ भजनाराम , रखाराम पुत्र जलोराम , व रूडाराम के नाम दर्ज है जो फोत हो चुके है जिनके विधिक उतराधिकारी सजरा खानदान के अनसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है जो उक्त के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अन्य चकों की भूमियो को शामिल करते हुए परिवारिक समझौता एवं बाहमी बटवारा किया गया था जिसके अनुसार वाद भूमि वादी का प्राप्त होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने अपने हकों को त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि जो उसके कब्जा काश्त में है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की होने के कारण वाद भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 25 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 7/5 की कुल 12. 3970हैक्ट जिसमें सयुक्त तौर से फरीदराम 1897/371880 हिस्सा भानीराम पुत्र जैलाराम 1897/371880 हिस्सा रखाराम पुत्र जलाराम 1897/371880हिस्सा , रूडाराम पुत्र नापाराम

Scanned with CamScanner

1897/123960 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 80/75 की कुल 8.5740हैक्ट भूमि स्थित है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फरीदराम , भानीराम उर्फ भजनाराम , रखाराम पुत्र जलोराम , व रूडाराम के नाम दर्ज है जो फोत हो चुके है जिनके विधिक उतराधिकारी सजरा खानदान के अनसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है जो उक्त के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जो सजरा खानदान के पूर्णत्या स्पष्ट है वादी एव प्रतिवादीगण ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अन्य चको की भूमि व वाद भूमि का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता बाहमी बटवारा किया गया जिसमें वाद भूमि प्राप्त हुई

वादी एव प्रतिवादीगण के परिवारिक समझौता में वाद भूमि वादी को प्राप्त होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 जो वादी के परिवारिक सदस्य है अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग कर दिया जिसके कारण वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि रही जिसे वादी काश्त करता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी परिवारिक समझौता/बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकार है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 7/5 की कुल 12.3970हैक्ट जिसमें सयुक्त तौर से फरीदराम 1897/371880 हिस्सा भानीराम पुत्र जैलाराम 1897/371880 हिस्सा रखाराम पुत्र जलाराम 1897/371880हिस्सा , रूडाराम पुत्र नापाराम 1897/123960 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 80/75 की कुल 8.5740हैक्ट भूमि स्थित है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उनके पूर्वजों फरीदराम , भानीराम उर्फ भजनाराम , रखाराम पुत्र जलोराम , व रूडाराम के नाम दर्ज है जो फोत हो चुके है जिनके विधिक उतराधिकारी सजरा खानदान के अनसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है जो उक्त के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अन्य चकों की भूमियो को शामिल करते हुए परिवारिक समझौता एवं बाहमी बटवारा किया गया था जिसके अनुसार वाद भूमि वादी का प्राप्त होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने अपने हकों को त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि जो उसके कब्जा काश्त में है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की होने के कारण वाद भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 के पूर्वजो के देहान्त होने पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने परिवारिक समझौता के अनुसार वाद भूमि में अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की

Scanned with CamScanner

जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो [illegible]
किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा के चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 7/5 की कुल 12.397हैक भूमि में सयुक्त तौर से 0.3794हैक एव रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 80/75 की कुल 8.5740हैक में सयुक्त तौर से 0.7179हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है फरीदराम, भानीराम उर्फ भजनाराम, रखाराम पुत्र जलोराम, व रूडाराम का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. लक्ष्मणराम पुत्र रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 फताराम पुत्र रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. चन्दराम पुत्र रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. अमरजीतकोर पुत्री रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. डालीकोर पुत्री रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. बन्सो पुत्री रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. ज्यान कोर पुत्री रूडाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. मेवाराम पुत्र रखाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. गुरमेलराम पुत्र रखाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. सेवाराम पुत्र रखाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. शिन्द्रा देवी पुत्री रखाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. मैनादेवी पुत्री रखाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. शेलो बाई पत्नी भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. नेकराम पुत्र भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. मुख्त्याचन्द भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. जोगिन्दराम पुत्र भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. बाबुराम पुत्र भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. रमनदीप पुत्र भजनाराम पुत्र जलाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
18. बनोकौर पत्नी फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
19. दर्शनसिह पुत्र फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
20. रणजीतराम पुत्र फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
21. मलकीतराम पुत्र फरीदराग जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
22. प्यारी कौर पुत्री फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
23. सबरजीतकौर पुत्री फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
24. भूरो कौर पुत्री फरीदराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1166 सन 2021 निर्णय दिनांक– 18/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की राहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा के चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 7/5 की कुल 12.397हैक्ट भूमि में सयुक्त तौर से 0.3794हैक्ट एव रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 80/75 की कुल 8.5740हैक्ट में सयुक्त तौर से 0.7179हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है फरीदराम , भानीराम उर्फ भजनाराम , रखाराम पुत्र जलोराम , व रूडाराम का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner